



राष्ट्रीय एकल खड़िकी प्रणाली

प्रलिस के लयि:

राष्ट्रीय एकल खड़िकी प्रणाली, व्यापार सुगमता

मेन्स के लयि:

व्यापार सुगमता में राष्ट्रीय एकल खड़िकी प्रणाली का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय एकल खड़िकी प्रणाली (National Single Window System- NSWS) में शामिल होने वाला पहला केंद्रशासति प्रदेश बन गया।

- केंद्रशासति प्रदेश में **व्यापार सुगमता** (Ease of Doing Business- EoDB) की दशा में यह एक बड़ा कदम है।
- NSWS **इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB)** से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू-कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेज़बानी करता है। इससे नविशकों को जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध भू-खंड खोजने में मदद मलिंगी।

क्या है राष्ट्रीय एकल खड़िकी प्रणाली?

- इस प्लेटफॉर्म को **सतिंबर 2021** में केंद्रीय वाणज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- यह एक **डजिटल प्लेटफॉर्म** है जो नविशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लयि आवेदन करने हेतु गाइड के रूप में कार्य करता है।
- यह सूचना एकत्र करने और वभिन्न हतिधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लयि नविशकों की अलग-अलग प्लेटफॉर्मों/कार्यालयों का दौरा करने की समस्या को दूर कर व्यवसाय पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाता है।

महत्त्व:

- यह राज्य और केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु **"वन स्टॉप शॉप"** के रूप में काम करेगा तथा पारसिथितिकी तंत्र को पारदर्शति, जवाबदेही और अनुकरयिशीलता प्रदान करेगा।
- यह व्यवसायों को उन सभी अनुमोदनों के वविरण के साथ-साथ एक सामान्य पंजीकरण फॉर्म, दस्तावेज़ भंडार और ई-संचार मॉड्यूल के वविरण के बारे में सूचित करने के लयि **अनुमोदन के बारे में जानें (Know Your Approvals- KYA)** जैसी सेवा भी प्रदान करेगा।
- यह अन्य योजनाओं जैसे- **मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI)** आदि को मज़बूती प्रदान करेगा।

व्यापार सुगमता (EoDB) में सुधार हेतु अन्य पहलें:

- केंद्रीय बजट** भाषण 2020 में नविश नकिसी प्रकोष्ठ (Investment Clearance Cell-ICC) की घोषणा की गई थी।
 - ICC पूर्व-नविश परामर्श सहति नविशकों को **"अंत तक"** सुवधि और समर्थन, भूमि बैंकों से संबधति जानकारी और केंद्र एवं राज्य स्तर पर मंजूरी की सुवधि प्रदान करेगा। सेल को एक ऑनलाइन डजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालति करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- कंपनी अधनियम, 2013 के तहत **दवाला और दवालियापन संहति (IBC)** तथा गैर-अपराधीकरण में संशोधन।
- मध्यम आकार की कंपनयिों के लयि **नगिम कर को 30% से घटाकर 25%** किया गया है।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने MCA21 परयोजना शुरू की है, जो कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और आम जनता के लयि सेवाओं तक आसान व सुरक्षति पहुँच को सक्षम बनाता है।
 - इसने **कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस (SPICe+) वेब फॉर्म** को शामिल करने के लयि सरलीकृत प्रपत्र भी लॉन्च किया है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** ने कागज़ रहति प्रसंस्करण, सहायक दस्तावेज़ों को अपलोड करने और सीमा पार व्यापार

- की सुवधि हेतु ई-संचति (ई-स्टोरेज एवं अप्रत्यक्ष कर दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकृत संचालन) सुवधि शुरू की है ।
- करदाताओं हेतु [ई-मूल्यांकन योजना](#) ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-single-window-system>

